शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट – थाना कटरा, दिनांक 23.05.24

दिनांक – 23.05.2024, थाना कटरा पुलिस का सराहनीय कार्य,

हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तारः-

श्री अशोक कुमार मीना पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों/वांछित/वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री - निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार अवस्थी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्री प्रयांक जैन क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में व मुझ प्रभारी निरीक्षक गौरव त्यागी के नेतृत्व में थाना कटरा को बडी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 12.05.2024 को वादी श्री हरवीर पुत्र स्व0 रिषीपाल निवासी ग्राम हीरपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कटरा पर अभियोग मु0अ0सं0 204/2024 धारा 302 भादवि बनाम 1. कप्तान पुत्र रामकिशन 2. राजू पुत्र रामकिशन 3. अनंगपाल पुत्र रामकिशन 4. अनिल पुत्र कप्तान सर्व निवासीगण ग्राम हीरपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. राजू पुत्र रामकिशन 2. अनिल पुत्र कप्तान निवासीगण ग्राम हीरपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 23.05.2024 को समय करीब 06.35 बजे गाँव रसेवन से लगभग 100 मीटर आगे बदायूँ रोड पर थाना कटरा क्षेत्रान्तर्गत थाना कटरा की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. राजू पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम हीरपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 27 वर्ष
2. अनिल पुत्र कप्तान निवासी ग्राम हीरपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान/समय –

गाँव रसेवन से लगभग 100 मीटर आगे बदायूँ रोड पर थाना कटरा, शाहजहाँपुर दिनांक 23.05.2024 समय 06.35 बजे

पूछताछ विवरणः-

दोनों अभियुक्तगणों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब हम दोनों आपस में चाचा भतीजे हैं घटना वाले दिन मेरा भतीजा अनिल खेतों पर सुबह 10 बजे बैगुल नदी के किनारे पशु चराने गया था लगभग 12 से 01 बजे जब मैं अपने भतीजे अनिल को खाना देने जंगल में गया तो अनिल ने मुझे बताया कि चाचा आज सुखवीर ने मुझे रास्ते में आते हुए बहुत उल्टी सीधी गालियां दी हैं और कहा कि मेरा भाई तेरी बहन को रखता था। इस बात की जानकारी होने पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अनिल को साथ लेकर सुखवीर के पास गया सुखवीर उस समय ग्राम समाज में खडे जंगल में पेड़ के नीचे लेटकर मोबाइल देख रहा था मैंने और अनिल ने जाते ही उसे दबोच लिया और उस पर लातो घूसों से प्रहार किया वह निकल कर भागने का प्रयास करने लगा तभी हम दोनो ने मिलकर मेरे (राजू) पास पहले से मौजूद रस्सी से सुखवीर का गला कस दिया और जोर लगाकर खींचा अनिल ने उसके हाथ पकड लिये थे मैं सुखवीर के सीने पर बैठा हुआ था थोडी देर झटपटाने के बाद सुखवीर शान्त हो गया था हमें लगा कि कोई हमें देख न ले इसके लिए हमने पास के खेत में बंधी एक रस्सी को लाकर उसके गले में फंदा बनाकर जंगल के किनारे खडे एक पेड की डाल से उस फंदे को बांध कर सुखवीर की लाश को पेड से टिका दिया था और जिस रस्सी से गला घोटा था उस रस्सी को उस पेड से जिस पर सुखवीर की लाश को टिकाया था से कुछ दूरी पर झाडियो में हम लोगो ने छिपा दिया था फिर हम खेतो खेतों गांव की तरफ भाग गये थे थोडी देर बाद जब सुखवीर के परिवार वालों को उसकी लाश मिली तो गांव में हल्ला मचा तो हम गांव छोडकर अपनी रिश्तेदारी में चले गये थे आज अपनी रिश्तेदारी से बदायूँ होते हुए दिल्ली जा रहे थे कि आपने पकड लिया।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास -

1. राजू पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम हीरपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 27 वर्ष
2. अनिल पुत्र कप्तान निवासी ग्राम हीरपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गौरव त्यागी थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री इतेश तोमर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
3. हे0का0 229 आरजू खान थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 1784 भूरा तोमर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर